न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 88/2013

1. रामनारायण पुत्र सुल्तान जाति मीणा निवासी आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर। (फौत)

1/1 महेश कुमार मीणा पुत्र स्वर्गीय श्री रामनारायण मीणा निवासी मीणो का मोहल्ला, वन तालाब रोड़, वार्ड संख्या 3/77 आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/2 गोपीचंद पुत्र स्वर्गीय श्री रामनारायण मीणा निवासी मीणो का मोहल्ला, वन तालाब रोड़, वार्ड संख्या 3/77 आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/3 कानाराम पुत्र स्वर्गीय श्री रामनारायण मीणा निवासी मीणो का मोहल्ला, वन तालाब रोड़, वार्ड संख्या 3/77 आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – प्रार्थीगण

बनाम

1. हरिनारायण पुत्र महादेव जाति मीणा निवासी आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/1 हनुमान पुत्र स्वर्गीय हरिनारायण मीणा निवासी मीणो का मोहल्ला, वन तालाब रोड़, वार्ड संख्या 3/77 आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/2 राजेश पुत्र स्वर्गीय हरिनारायण मीणा निवासी मीणो का मोहल्ला, वन तालाब रोड़, वार्ड संख्या 3/77 आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/3 मोहिनी पत्नि स्वर्गीय हरिनारायण मीणा निवासी मीणो का मोहल्ला, वन तालाब रोड़, वार्ड संख्या 3/77 आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

2. गोपाल पुत्र महादेव जाति मीणा निवासी आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

2/1 रामअवतार पुत्र स्वर्गीय गोपाल स्वर्गीय निवासी मीणो का मोहल्ला, वन तालाब रोड़, वार्ड संख्या 3/77 आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

2/2 रविन्द्र पुत्र स्वर्गीय गोपाल स्वर्गीय निवासी मीणो का मोहल्ला, वन तालाब रोड़, वार्ड संख्या 3/77 आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

2/3 मु0 कोयली बेवा स्वर्गीय गोपाल स्वर्गीय निवासी मीणो का मोहल्ला, वन तालाब रोड़, वार्ड संख्या 3/77 आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.ले.रे.एक्ट

निर्णय दिनांक 14.10.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रामनारायण न्यायालय के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार आमेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो न्यायालय में प्राप्त होने पर शामिल की गई। प्रार्थीगण द्वारा धारा 136 प्रार्थना पत्र में संशोधन किये जाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 किया जो न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.10.2016 को स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 17.01.2018 को खारिज को खारिज की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 को यथावत रखा गया। दिनांक 04.10.2016 की पालना में प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजीयात खसरा नंबर 818/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 973 रका 17 बिस्वा, खसरा नंबर 974 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 976 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 977 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 978 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 980 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 981 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 982 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 983 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 985 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 986 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 987 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 988 रकबा 6 बिस्वा खसरा नंबर 1268 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 1269 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 1270 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा खसरा नंबर 1271 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 1272 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 1273 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 20 कुल रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसके 1/2 भाग का काबिज रेकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थी का पिता सुल्तान व 1/2 भाग का अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2

का पिता महादेव राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज चले आये है। प्रार्थी के पिता सुल्तान व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त आराजीयात का कानूनी रूप से विभाजन करवा लिया जिसके आधार पर नामान्तकरण तस्दीक होकर आराजी खसरा नंबर 1268 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 1269 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 1270 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 980 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 983 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 982 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 978 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 976 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 977 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 818/1/2 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा की तन्हा खातेदारी प्रार्थी के पिता के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गयी तथा शेष खसरा नंबर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता महादेव के नाम से दर्ज की गयी। प्रार्थी के पिता सुल्तान का स्वर्गवास होने पर उक्त आराजियात की जरिये नामान्तकरण को प्रार्थी के नाम से व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता महोदव का स्वर्गवास होने पर जरिय नामान्तकरण संख्या 335 के द्वारा खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज की गयी हैं। प्रार्थी के विभाजन में आई उक्त कृषि भूमि के वर्तमान सेटलमेंटन में खसरा नंबर 941 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नंबर 942 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 943 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1086 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1082 रकबा 0. 02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1088 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1093 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1094 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1237 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1083/9162 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 940/9213, 1092/9710, 1092 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1098/9921 रकबा 0.02 हैक्टेयर कायम किये गये है जिनमे से हाल खसरा नंबर 941, 942, 943, 1086, 1087, 1088, 1093, 1094, 1237, 1083/9162, 940/9213, 1092/9710 कुल किता 12 कुल रकबा 2.86 हैक्टेयर की खातेदारी तो भू–'प्रबंध विभाग ने प्रार्थी के नाम से दर्ज कर दी गयी है। लेकिन '' प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नंबर 818/1/2 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा जिसका हैक्टेयर स्केल में रकबा 1.44 हैक्टैयर बनता है उक्त खसरे का दौराने सेटलमेंट हाल खसरा नंबर 941 रकबा 0.51 हेक्टेयर, खसरा नंबर 942 रकबा 0.32 हेक्टेयर, खसरा नंबर 943 रकबा 0.43 हेक्टेयर, खसरा नंबर 940/9213 रकबा 0.40 हेक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 1.65 हैक्टेयर बनाये गये। जबकि प्रार्थी मौके पर खसरा नंबर 941 रकबा 0.51 हेक्टेयर, खसरा नंबर 942 रकबा 0.32 हेक्टेयर, खसरा नंबर 943 रकबा 0.42 हेक्टेयर के संपूर्ण रकबे पर तथा खसरा नंबर 940/9213 के रकबा 0.19 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है। इस प्रकार प्रार्थीगण 1.44 हैक्टेयर भूमि पर

काबिज होकर काश्त कर रहे है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नंबर 940/9213 रकबा 0.16 हैक्टेयर के स्थान पर 0.40 हैक्टेयर गलत अंकित कर दिया इसी प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि साबिका खसरा नंबर 978 रकबा 1 बीघा 9 स्विा से बने हाल खसरा नंबर 1088 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा नंबर 1092/9710 रकबा 0.19 हैक्टेयर खसरा नंबर 1099 रकबा 0.39 हेक्टेयर में से 0.17 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। साबिक खसरा नंबर 980 रकबा 14 बिस्वा से बयाने हाल खसरा नंबर 1092 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1098/9921 रकबा 0.02 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज कर दी है जो कत्तैई अनियमित एवं अवैधानिक है। भू–प्रबंध विभाग को साबिक के अनुसार साबिक के अनुसार साबिक खसरा नंबर 980 से बनाये गये हाल खसरा नंबर 1092 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नंबर 1098/9921 रकबा 0.02 की खातेदारी तन्हा प्रार्थी के नाम से दर्ज करनी चाहिये थी भू–प्रबंध विभाग को साबिक से विपरीत जाकर खातेदांरी दर्ज करने का अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग ने प्रार्थी के खातेदारो के रकबे मे कमी कर उक्त दोनो नंबरान की खातेदारी में 1/2 भाग की खातेदारी प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया है। गत नक्शा सीट साबिक खसरा नंबर 978, 980 के अनुसार हाल वर्तमान नक्शा सीट मे दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा की गयी उक्त त्रुटि को प्रार्थी दुरूस्ती कराकर उक्त खसरा नंबर 1092 रकबा 0.16 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1098/9921 रकबा 0.02 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर की तन्हा खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 का नाम उक्त खसरा नंबर की खातदेारी में डिलीट करवाने का अधिकारी है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा की गयी उक्त त्रुटि को दुस्स्त करने का मान्य न्यायालय को धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट में अधिकार प्राप्त है। संशोधित प्रार्थना पत्र के अंतिम में अनुतोष चाही गया कि साबिक खसरा नबर 980 रकबा 14 बिस्वा से बनाये गये हाल खसरा नंबर 1092 रकबा 0.16 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1098/992 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर, साबिका खसरा नंबर 818/1/1 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा से मौके एवं कब्जे काश्त के अनुसार बने हाल खसरा नंबर 941 रकबा 0.51 हैक्टेयर खसरा नंबर 942 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 943 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 940/9213 रकबा 0.40 हैक्टैयर में से 0.19 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.44 हैक्टेयर व साबिका खसरा नंबर 978 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 1088 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1092/9710

रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1099 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.19 हैक्टेयर गत खसरा नंबर 980 से बने हाल खसरा नंबर 1092 रकबा 0.16 हैक्टेयर खसरा नंबर 1098/9921 रकबा 0.02 हैक्टेयर स्थित कस्बा आमेर, तहसील आमेर की खातेदारी साबिक के अनुसार तन्हा प्रार्थी के नाम से दर्ज करने एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम उक्त खसरा नंबरान की खातेदारी में विलोपित करने एवं शेष खसरा नंबर 1086 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1087 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1093 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1094 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1237 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1083/9162 रकबा 0.02 हैक्टेयर पूर्वानुसार प्रार्थीगण के नाम यथावत रखे जाने के आदेश करने की कृपा करे। अन्य सहायता जो मान्य न्यायालय उचित समझे प्रार्थी को प्रदान किया जावें। तथा साबिक खसरा नंबरान 978, 980 की नक्शा सीट के अनुसार वर्तमान नक्शे में परिवर्तन किया जावें।

संशोधित प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अनेक अवसर दिये जाने के पश्चात उनके द्वारा जवाब पेश नही किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार तहसील आमेर द्वारा पंत्राक कोर्ट/15/96 दिनांक 07.02.2016 रिपोर्ट प्रस्तत की उक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा संलग्न जमाबंदी संवत 2024–2027 के अनुसार कुल किता 20 कुल रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके कस्बा आमेर में सुल्तान पुत्र सुखदेव जो कि प्रार्थी के पिता है व महादेव पुत्र सुखदेव जाति मीणा निवासी आमेर के दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदारान द्वारा उक्त भूमि का तकासमा सहमति से दिनांक 16.06.1979 को करवाया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 263 स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तकरण में सुल्तान पुत्र सुखदेव के नाम साबिक खसरा नंबर 1268 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 1269 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 1270 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 983 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 982 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 978 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 976 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 977 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 818/1/2 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि है तथा महादेव पुत्र सुखदेव के नाम खसरा नंबर 1271 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 1272 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 987 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 973 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 986 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 985 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 981 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 974 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 973 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 988 रकबा 6 बिस्वा खसरा नंबर 818/1 रकबा 5 बीघा 014

बिस्वा, खसरा नंबर 1273 रकबा 18 बिस्वा कुल रकबा 11 कुल रकबा 18 बिस्वा भूमि है। उक्त नामान्तकरण का नोट जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में लगाया गया जिसमें सुल्तान पुत्र सुखदेव के नाम खसरा नंबर 1268, 1269, 1270 980, 983, 978, 976, 977, 818/1 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा दर्ज किया गया। जबकि खसरा नंबर 980 का उल्लेख नामान्तकरण संख्या 263 में नही किया गया। सुल्तान पुत्र सुखदेव की कुल भूमि 11 बीघा 17 बिस्वा खसरा नंबर 980 का रकबा 14 बिस्वा जोडने पर ही पूरी होती है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर 980 के हाल खसरा नंबर 1092 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1098/9921 रकबा 0.02 हैक्टैयर कुल 0.18 हैक्टैयर भूमि वर्तमान रेकार्ड में रामनारायण पुत्र सुल्तान हिस्सा 1/2, हरिनारायण पुत्र महादेव हिस्सा 1/4 कोयली देवी पत्नि रामगोपाल, रामवतार, रविन्द्र, पुत्रान रामगोपाल हिस्सा 1/4 कौम मीणा साकिन देह के नाम दर्ज है। जबकि प्रार्थी जमाबंदी संवत 2024 से 2027 के अनुसार खसरा नंबर 1092, 1098/9921 अपने नाम दुरूस्त करवाना चाहते है। जमाबंदी संवत 2024 से 2027 व नामान्तकरण संख्या 263 दिनांक 20.02.1980 में दर्ज साबिक खसरा नंबर 978 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि सुल्तान पुत्र सुखदेव के नाम दर्ज थी। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नंबर 978 के हाल खसरा नंबर 1088 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1092/9710 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर रामनारायण पुत्र सुल्तान के नाम एवं शेष भूमि हाल खसरा नंबर 1099 में जोड दी गई है जो कि महादेव पुत्र सुखदेव के वारिसान के नाम दर्ज है। जबकि प्रार्थी पूर्व रेकार्ड अनुसार साबिक खसरा नंबर 978 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि के मिलान क्षेत्रफल अनुसार बने हाल खसरा नंबर 1088 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1092/9710 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1099 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.17 हैक्टेयर भूमि अपने नाम दुरूस्त करवाना चाहते है। उक्त जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में दर्ज खसरा नंबर 818/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नंबर 940 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 941 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नंबर 942 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 943 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 940/9213 रकबा 0.40 कुल रकबा 2.88 हैक्टेयर बने। उक्त खसरा नंबर में पूर्व तकासमा अनुसार सुल्तान पुत्र सुखदेव के नाम साबिक खसरा नंबर 818/1/2 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा अनुसार 1.44 हैक्टैयर भूमि चाहता है। जबकि वर्तमान रेकार्ड अनुसार प्रार्थी के नाम हाल खसरा नंबर 941 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नंबर 942 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 943 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 940/9213 रकबा 0.40 हैक्टेयर कुल रकबा 1.65 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रेकार्ड है।

तहसीलदार आमेर द्वारा पूर्व में अपने पत्रांक क्रमांक/आरए/05/639 दिनांक 08.04.2005 के अनुसार प्राप्त रिपोर्ट में मौके पर आराजी खसरा नंबर 1092 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1098/9921 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर भूमि को अकेला रामनारायण पुत्र सुल्तान मीणा ही काश्त करना बताया है।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। अप्रार्थीगण को बहस हेतु अनेक अवसर दिये गये लेकिन उनके द्वारा बहस हेतु समय चाहा गया। दिनांक 12.09.2019 को अप्रार्थीगण को बहस किये जाने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। प्रकरण वर्ष 2004 से लम्बित होने के कारण पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 14.10.2019 नियत की गई। नियत दिनांक तक भी अप्रार्थीगण की ओर से बहस नही की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन न्यायालय द्वारा पाया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि जिनका पुराना खसरा नंबर 980 रकबा 14 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 1092 रकबा 0.16 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1098/9921 रकबा 0.02 हैक्टैयर बने है। उक्त दोनो खसरा नंबरान की खातेदारी भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थी के हिस्से में 1/2 व अप्रार्थीगण के हिस्से में 1/2 अंकित कर दी गई जो कि मिलान क्षेत्रफल से बखूबी स्पष्ट है कि उक्त दोनो खसरा नंबरान के प्रार्थीगण ही एकमात्र खातेदार काश्तकार है, जिसकी दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार पुराना खसरा नंबर 978 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 1088 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1092/9710 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1099 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.19 हैक्टेयर ही बने है। लेकिन भू–प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट उक्त खसरा नंबर 1099 रकबा 0.39 हैक्टेयर संपूर्ण की खातेदारी अप्रार्थीगण की नाम दर्ज कर दी गई। जिसके बाबत प्रार्थीगण की खातेदारी में खसरा नंबर 1099 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.19 हैक्टेयर भूमि दुरूस्ती की जाती है। उक्त खसरा नंबर 1099 का शेष रकबा 0.20 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम दुरूस्त किया जाता है। खसरा नंबर 818/1/1 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा के बने हाल खसरा नंबर 941 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नंबर 942 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 943 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 940/9213 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 0.19 हैक्टेयर। इस प्रकार उक्त खसरा नंबर 818/1/1 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा हैक्टेयर स्केल के अनुसार 1.44 हैक्टेयर बनते है। इसलिए खसरा नंबर 940/9213 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि

प्रार्थीगण के नाम व शेष रकबा 0.21 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के दुरूस्त किया जाता है। फलस्वरूप गत नक्शा शीट के अनुसार साबिक खसरा नंबर 978, 980 के हाल वर्तमान नक्शा सीट में दुरूस्ती की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी रामनारायण के नाम हाल खसरा नंबर 1092 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1098/9921 रकबा 0.02 हैक्टेयर संपूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर संपूर्ण तथा खसरा नंबर 1099 रकबा 0.19 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 940/9213 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 0.19 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज की जाती है तथा अप्रार्थीगण हरिनारायण व रामगोपाल के नाम खसरा नंबर 1099 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर व खसरा नंबर 940/9213 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 0.21 हैक्टेयर भूमि दर्ज की जाती है। शेष खसरा नंबरान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम यथावत रखे जाते है। साबिक खसरा नंबर 978 व 980 के अनुसार वर्तमान खसरा नंबरान नक्शा सीट दुरूस्त की जाती है। उक्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार तहसील आमेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक **14.10.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2019.11.04 17:13:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: